न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी, छतरपुर

श्रीमती ज्ञान गुप्ता पत्नी नीरज गुप्ता
निवासी सेवा ग्राम खजुराहो तहसील
राजनगर जिला छतरपुर

.... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/ अ–89/अ–13/ 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2016 एवं 26.09.2016 के विरूद्व निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, खजुराहो स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 321/ 3/2 रकवा 1, 214 हेक्टर भूमि को आवेदिका द्वारा विक्रेता लखन सिंह से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनाक 27.12.2010 को क्रय की गई थी। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का डायवर्सन धारा 172 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कराया गया था । डायवर्सन के समय वांछित अर्हतायें पूर्ण की जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कराया गया था।

3. यहकि, आवेदिका द्वारा क्रय करने के बाद उक्त भूमि का समतलीकरण कराया गया । उक्त भूमि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3547-एक/2016 जिला छतरपुर ज्ञान गुप्ता विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 25-09-2018 को आवेदिका श्रीमती ज्ञान गुप्ता पत्नी नीरज गुप्ता के अभिभाषक श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री विवेक भार्गव उपस्थित हुये थे । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये । 3. आवेदिका के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-89/अ-13/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27-08-2016 एवं 26-09-2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है । 4. अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी की आदेश दिनांक 27-08-2016 एवं 26-09-2016 की प्रकरण पंजिका का अवलोकन किया गया । 5. दिनांक 27-08-2016 की प्रकरण पत्रिका अनुसार पटवारी हल्का नंबर 31 खजुराहो द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि खसरा नंबर 321/3/2/1 रकवा 1.114 हे. में से रकवा 0.923 हे. पर श्रीमती ज्ञान गुप्ता के द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । प्रतिवेदन के साथ स्थल का छायाचित्र, खसरा नकल एवं पंचनामा प्रस्तुत की गई थी । प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रथम दृष्टया अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया है जिस कारण प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदिका को दिनांक 27-08-2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।	

6. अनुविभागीय अधिकारी की दिनांक 26-09-2016 की आदेश पंजिका में केवल दिनांक 27-08-2016 का ही हवाला दिया गया है कोई नवीन निर्देश नहीं दिया गया है ।

7. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो अंतरिम आदेश पारित किया गया है और न ही अंतिम आदेश पारित किया गया है ।

8. अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही जारी रखें ।

9. उभय पक्ष अभिभाषक सूचित हो । अनुविभागीय अधिकारी को आदेश के प्रति भेजी जावे ।

01. X. 2018

(आर.के. जैन)
सदस्य